डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ. रायपुर/17/2001

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2002—माघ 26, शक 1923

## भाग 3 ( 1 )

### विविध

**स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं**

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर

प्रारूप चौदह

[ नियम 18 (2) देखिये ]

नगर विकास स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ग्राम टिकरापारा, पुरैना, अमलीडीह, रायपुर खास, पंडरी तराई एवं फाफाडीह के अंतर्गत कटोरा तालाब/शैलेन्द्र नगर आवासीय योजना एवं देवेन्द्रनगर आवासीय/व्यावसायिक योजना क्षेत्र के लिये नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है.

(1) रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला कार्यालय रायपुर.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यदि ऐसी वांछा करे, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

FORM XIV

[ See Rule 18 (2) ]

**Notice of Publication of Draft of Town Development Scheme**

Notice is hereby given that a Draft of Town Development Scheme has been prepared for the area Tikrapara, Purena, Amalidih, Raipur Khas, Pandari Tarai and Fafadih under Katora Talab/Shailendra Nagar Housing Scheme and Devendra Nagar Housing & Commercial Scheme under Sub-section (3) of Section-50 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during Office hours in the Office of :—

(1) Raipur Development Authority, Raipur.
(2) Joint Director, Town & Country Planning, Raipur Sharda Chowk Building.

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected thereby within 30 days of the publication of this notice in the "Chhattisgarh Rajpatra" will be considered by the Town Country Development Authority after having been given him an apportunity of being heard in person if he so desires.

**विवेक ढाण्ड,**
अध्यक्ष.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.